गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सरकार द्वारा प्रेषित मार्गदर्शी निर्देश पब्लिक कम्पनियों, तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक निदेशकों के लिये लागू होते हैं। कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा सिवाय उन मामलों को छोड़ कर नहीं होता जहां, कार्यकारी इस अधिनियम की धारा 201ख तथा 314(1-ख) के अन्तर्गत आते हों। संशोधित मार्गदर्शक निर्देशों, जो 9-11-1978 से लागू हुये, की प्रति माननीय संसद सदस्यों द्वारा पूछे गये अनेक प्रश्नों के उत्तरों में सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई है।

(ख) प्रबन्धकीय कार्मिकों की नियुक्ति के आवेदन-पत्रों को अनुमोदित करते समय, कम्पनी कार्य विभाग इन संशोधित मार्गदर्शी निर्देशों का पालन करता है। पब्लिक कम्पनियों के प्रबन्धकीय कार्मिकों द्वारा मार्गदर्शी निर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार की सूचना में नहीं आया है। सरकार द्वारा प्रेषित स्वीकृतियों के उल्लंघन का स्वरूप, जब ऐसा विषय है, जो सामान्यतः कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों द्वारा अवलोकित किया जाना है, तथा इस प्रकार के किसी उल्लंघन की दशा में उनसे इसे रिपोर्ट में वर्णित करने की आशा की जाती है जिसके आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। विभाग स्वतंत्र रूप से भी, विशेषतः कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षणों तथा धारा 235/237 के अन्तर्गत जांच के दौरान इन्हें देखता है। कम्पनी रजिस्ट्रारों से भी तुलन-पत्रों की तकनीकी समीक्षा के दौरान, इन विनिर्देशों का अवलोकन करने की आशा की जाती है।

(ग) से (ङ). विभाग को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। तथापि, यदि माननीय सदस्य इस प्रकार के मामलों के ब्यौरे भेजते हैं, तो उनकी जांच की जायेगी व आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशक पत्र-पत्रिकायें

316. **डा० रामजी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में कौन कौन से पत्र-पत्रिकायें प्रकाशित किये जाते हैं और प्रत्येक के लिये कितने कर्मचारी तथा सम्पादकीय सुविधायें उपलब्ध हैं ,

(ख) क्या अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में भारतीय भाषाओं के पत्रों तथा प्रकाशनों के लिये कम संख्या में तथा कम वेतन-मान वाले कर्मचारी उपलब्ध कराये गये हैं तथा उन्हें कम सुविधायें दी गई हैं

(ग) यदि हां, तो भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों को भी वही सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जो अंग्रेजी प्रकाशनों के लिये उपलब्ध हैं तथा भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों संबंधी सम्पूर्ण जानकारी क्या है , और

(घ) क्या राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये कुछ उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाने वाले पत्र-पत्रिकाओं के नाम तथा सम्पादकीय कर्मचारियों की संख्या, आदि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। प्रकाशन विभाग के सभी सम्पादकीय पद केन्द्रीय सूचना सेवा में सम्बन्धित हैं और भाषा के आधार पर अधिकारियों के वेतनमानों में कोई असमानता नहीं है।

प्रकाशन विभाग अंग्रेजी में केवल पांच नियत-कालिक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। इनमें से एक अर्थात् "इंडियन एण्ड फारेन रिव्यू" का भारतीय भाषा में कोई संस्करण नहीं है, जबकि "योजना" "कुरुक्षेत्र" और 'एम्प्लायमेंट न्यूज" अंग्रेजी और एक या अधिक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे हैं। "भागीरथ" के मामले में सम्पादकीय कर्मचारी सिंचाई विभाग (केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग) के हैं।

"योजना" के मामले में प्रधान सम्पादक अंग्रेजी सहित सभी 9 संस्करणों के काम का समन्वय करता है, यद्यपि संलग्न विवरण में इनको अंग्रेजी संस्करण के लिए दिखाया गया है। "कुरुक्षेत्र' के अंग्रेजी और हिन्दी के संस्करणों की आवधिकता और स्टाफिंग पैटर्न को बराबर करने का प्रश्न विचाराधीन है। कार्यभार और अन्य बातों का ध्यान में रखते हुए "एम्प्लायमेंट न्यूज" के विभिन्न संस्करणों के सम्पादकीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	पत्र पत्रिका का नाम	भाषा	आवधिकता	सम्पादकीय कर्मचारियो की स्वीकृत संख्या				
				प्रधान सम्पादक 1500–1800 रु०	सम्पादक 1100–1600 रु०	वरिष्ठ सवाददाता व सम्पादक 1100–1600 रु०	सह-सम्पादक 650–1200 रु०	उप-सम्पादक 470–750 रु०
1	इंडियन एंड फारेन रिव्यू	अंग्रेजी	पाक्षिक	1	—	—	2	1
2.	योजना	अंग्रेजी	पाक्षिक	1	—	—	2	1
3	योजना	हिन्दी	पाक्षिक	—	1	—	1	1
4.	योजना	असमिया	पाक्षिक	—	—	1	1	1
5.	योजना	बंगला	पाक्षिक	—	—	1	1	1
6	योजना	गुजराती	पाक्षिक	—	—	1	1	1
7.	योजना	मराठी	पाक्षिक	—	—	1	1	1
8.	योजना	मलयालम	पाक्षिक	—	—	1	1	1
9.	योजना	तमिल	पाक्षिक	—	—	1	1	1
10.	योजना	तेलुगु	पाक्षिक	—	—	1	1	1
11	कुरुक्षेत्र	अंग्रेजी	पाक्षिक	—	1	—	2	1
12.	कुरुक्षेत्र	हिन्दी	मासिक	—	—	—	1	1
13.	आजकल	हिन्दी	मासिक	—	1	—	—	1
14.	आजकल	उर्दू	मासिक	—	1	—	—	1
15.	बाल भारती	हिन्दी	मासिक	—	1	—	—	2
16.	एम्प्लायमेंट न्यूज	अंग्रेजी	साप्ताहिक	—	1	—	—	—
17.	रोजगार समाचार	उर्दू	साप्ताहिक	—	—	—	1	—
18.	रोजगार समाचार	हिन्दी	साप्ताहिक	—	—	—	1	—
19.	भागीरथ*	अंग्रेजी	त्रैमासिक	—	—	—	—	—
20.	भागीरथ*	हिन्दी	त्रैमासिक	—	—	—	—	—

टिप्पणी :–*प्रकाशन विभाग कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) की ओर से "भागीरथ" के अंग्रेजी और हिन्दी दोनो में प्रकाशन में केवल सहायता करता है । सम्पादकीय कर्मचारी उनके अपने ।